

सं० सं० 14/एम 11-2/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल,
पटना 800004।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.2.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	गंगीया देवी पति-बिरजु गोसाई ग्राम-पो०-इन्दरवा थाना-सोनवर्षा जिला-सीतामढ़ी	कैंसर रोग	₹ 10,000/- (दस हजार) स्वीकृत।
2	शंभु महतो पिता-स्व. देवी महतो ग्राम+पो०+थाना-भगवानपुर जिला-बेगूसराय	कैंसर रोग	₹ 12,000/- (बारह हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 22,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 22,000/- (बाइस हजार) का क्रास चेक सं०..... 849861 मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 235 (14)

पटना, दिनांक - 2-3-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
25-02-15

सं० सं० 14/एम 11-1/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल,
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,
वाराणसी।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.2.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अम्बिका सिंह पिता-स्व. लक्ष्मी सिंह ग्राम+पो०-सिरिसिया खुर्द थाना-आदापुर जिला-पूर्वी चम्पारण हौस्पिटल नं०-2472 / 14	कैंसर रोग	₹ 25,000 / -(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	रवि कुमार पिता-स्व. सुधीर कुमार सिंह ग्राम-मकसुदपुर पोस्ट-बसंतपुर बंगला थाना-अमनौर जिला-सारण, छपरा हौस्पिटल नं०-36603	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 25,000 / -(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	चुन्नी लाल पिता-स्व. रीताई राम ग्राम+पो०-भरतपुरा थाना-जी०वी०नगर जिला-सीवान हौस्पिटल नं०-2492 / 14	कैंसर रोग	₹ 25,000 / -(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	राम इकबाल राम पिता-अकलु राम ग्राम-बेला पोस्ट-मीरपुर थाना-चीरैया जिला-पूर्वी चम्पारण हौस्पिटल नं०-10902 / 14	मस्तिष्क रोग	₹ 25,000 / -(पच्चीस हजार) स्वीकृत।

5	नागेन्द्र गुप्ता पिता-विजय शंकर गुप्ता ग्राम-नौवाझोटी पोस्ट-कुडासन थाना+ जिला -भभुआ, कैमुर, हौस्पिटल नं0-50620	कैंसर रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,25,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) रुपये का क्रास चेक सं०.....849867.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डा० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 238 (14)

पटना, दिनांक - 2-3-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
25-02-15

सं० सं० 14/एम 11-2/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक,
हार्ट हौस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.2.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र०सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	तारकेश्वर प्रसाद पिता-सत्य नारायण साव ग्राम-बड़ी संगत पोस्ट+थाना-खुसरूपुर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	अशोक कुमार सिंह पिता-स्व. वासुदेव सिंह ग्राम-आजादनगर पोस्ट+थाना-मनेर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
3	सुनील कुमार पिता-अवध प्रसाद ग्राम-गोपाईचक पोस्ट+थाना-सकसोहरा जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	अख्तरी खातुन पति-मो० अख्तर मोहल्ला-पुरानी कंकड़बाग गेट- 15, पो०-लोहीयानगर थाना-पत्रकारनगर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹० 2,20,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,20,000/-(दो लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 849865द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु , बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन
ह०/—
(डा० राजधारी रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक


प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...849865...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/—
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 239 (14)

पटना, दिनांक - 2-3-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
25-02-15

सं० सं० 14/एम 11-1/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.2.2015 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	बलीराम सिंह पिता-स्व. इन्द्रासन सिंह ग्राम-हरखौलीमीरगंज पोस्ट-थाना-मीरगंज जिला गोपालगंज केस फाइल नं०-सीएल/26454	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 60,000/- (साठ हजार)

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ ₹ 60,000/- (साठ हजार) रुपया का क्रास चेक सं०...849867मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह० /-


(डा० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 241 (14)

पटना, दिनांक - 2-3-15

प्रतिलिपि-लेखापाल,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
25.02.15

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.2.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के स मक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	संतोष कुमार पिता-पवन कुमार सिंह ग्राम-पो०-कनछेदवा थाना-हरसीद्धी जिला-पूर्वी चम्पारण ओ.पी० डी नं०-32936/13	कुल्हा रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 50,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000 /-(पचास हजार)रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 849866 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584010, खाता धारक का नाम- निदेशक, अ० भा० आ० सं०, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय

विश्वासभाजन
ह०/-
(डा० राजधारी रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 879866 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 240 (14)

पटना, दिनांक - 2-3-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24/1/15
निदेशक प्रमुख
25-02-15

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.2.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	द्वारिका प्रसाद तुलसीयान पिता-स्व.मोहन लाल तुलसीयान ग्राम-सुतापट्टी पोस्ट-प्रधान डाकघर थाना-जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 85,000 /-(पचासी हजार) स्वीकृत।
2	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह पिता-स्व. देवकी नन्दन सिंह ग्राम-रसलपुर पोस्ट-खोजपुरा थाना-तेलहाड़ा जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
3	अर्जुन प्रसाद पिता-स्व. बैजू महतो ग्राम-अकबर बीगहा पोस्ट-रमजानपुर थाना-बरबीघा जिला-शेखपुरा	हृदय रोग	₹ 90,000 /-(नब्बे हजार) स्वीकृत।
4	नवीन कुमार सिंह पिता-स्व. देव कुमार सिंह ग्राम-पो०-कोसुत थाना-धनरूआ जिला पटना	हृदय रोग	₹ 90,000 /-(नब्बे हजार) स्वीकृत।
5	राम शरण महतो पिता-स्व० भगोड़ी महतो ग्राम-बटौरा पोस्ट-डीह कुसुम्बा थाना-कोरमा जिला-शेखपुरा	हृदय रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।

6	साभा राय पिता-स्व. रामनाथ राय ग्राम-पो०-रसौली थाना-पानापुर जिला-सारण, छपरा	हृदय रोग	₹ 60,000 /- (साठ हजार) स्वीकृत।
			₹ 4,25,000 /- (चार लाख पच्चीस हजार)

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,25,000 /- (चार लाख पच्चीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 849869..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन
ह०/-
(डा० राजधारी रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 849869 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 243 (14)

पटना, दिनांक - 2-3-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों का/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
25-02-15

सं० सं० 14/एम 11-1/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
राय बरेली रोड, लखनऊ,-226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.2.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सीता राम सिंह पिता-टोका सिंह ग्राम-दुसाधी बंधार पो०+थाना-पीरो जिला-भोजपुर, आरा सी.आर नं०-2014621765	कैंसर रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	मनोज कुमार पिता-जगलाल साह ग्राम-लव कुशपुर पोस्ट-गुल्टेनगंज थाना-मुफसिल छपरा जिला-सारण, छपरा सी आर नं०-2013807690	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,75,000/- (एक लाख पचहतर हजार)

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,75,000/- (एक लाख पचहतर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बरेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 849870 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 849870 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 244 (14)

पटना, दिनांक - 2-3-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
25.02.15

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.02.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	लालमुनी देवी पति-महेन्द्र भगत ग्राम-उड़ानटोला पोस्ट-अनीसाबाद थाना-गर्दनीबाग जिला-पटना	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 25,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 25,000/- (पच्चीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं० ~~849871~~..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डा० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 253 (14)

पटना, दिनांक - 2-3-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
25.02.15

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
मैक्स हेल्थ केयर सुपर स्पेशलीटी,
हौस्पीटल, साकेत, नई दिल्ली।-110017

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.02.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	भुवनेश्वर चौबे पिता-राम अवधेश चौबे ग्राम-चौबे के बहुआरा पोस्ट-घोरडीहॉ थाना-करगहर जिला-रोहतास	कैंसर रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 25,000 /

- उक्त अनुदान की कुल राशि 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपया का क्रास चेक सं०.....*879872*
.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 256 (M)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक - 2-3-15

25/3/15
निदेशक प्रमुख
25-02-15

सं० सं० 14/एम 11-3/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
राजीव गांधी कैंसर इन्स्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर,
रोहिणी, दिल्ली-110085

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.2.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	लालमती देवी पति-हरिशचन्द्र यादव ग्राम-नेउरी पोस्ट+थाना-कटेया जिला-गोपालगंज सी.आर नं०-133187	कैंसर रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल रू० 25,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये का क्रास चेक सं०...849873
.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० राजधारी रंजन)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक -

257(14)

पटना, दिनांक - 2-3-15

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/
आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
25.02.15

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक

एशियन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस,

फरीदाबाद 121001

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.2.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अजित कुमार मिश्रा पिता-कैलाश मिश्र फ्लैट नं०-1सी०, मुकुन्दकुंज, अपार्टमेंट कांटी फैक्टरी रोड पो०-बहादुरपुर थाना अगमकुआ जिला-पटना	गुर्दा रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये का क्रास चेक सं० 849874 मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 258 (14)

पटना, दिनांक - 2-3-15

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
23/02/15

सं० सं० 14/एम 11-1/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एंड रिसर्च, चंडीगढ़ 160015

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.2.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	साहील कुमार पिता-सरोज कुमार राय ग्राम+पो०-कंसदीयर थाना-डोरीगंज जिला-सारण छपरा सी.आर नं०-4289532	कैंसर रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	अमन कुमार पिता-श्री कृपा शंकर दास ग्राम+पो०-कोलवारा थाना-सरेया जिला-मुजफ्फरपुर सी.आर नं०-66970	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,75,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,75,000/- (एक लाख पचहतर हजार) स्वीकृत। रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 849863 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10413583830 खाता धारक का नाम-"डायरेक्टर,पी०जी०आई० प्राइवेट ग्रान्ट ए०/सी० " खाते का प्रकार-चालु बैंक का नाम- एस० बी० आई०, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड सं० 01524 में अंतरित किया जाता है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

विश्वासभाजन
ह0/-
(डा0 राजधारी रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...849863...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 237 (N)

पटना, दिनांक- 2-3-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
25-02-15

सं० सं० 14/एम 11-2/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.2.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	कौशल्या देवी पति-राम जन्म राय ग्राम-सुन्दरापुर मलाही टोला पो०-सुन्दापुर थाना-कैसरिया जिला-पूर्वी चम्पारण पंजीकरण सं०-109979/14	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
2	नुर जहाँ पति-मो० मुर्तुजा ग्राम-बनहारा पो०-अम्बा थाना-भगवानपुर जिला-बेगुसराय पंजीकरण सं०-070194/12	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
3	धनेश्वरी देवी पति-सकलद्वीप सदा ग्राम-मुसहरीयाडीह पोस्ट-शहर बन्नी थाना-अलौली जिला-खगड़िया पंजीकरण नं०-077948/13	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
4	देवरानी देवी पति-रमेश चौधरी ग्राम-पटना के फाटक वार्ड नं०-21, दाउदनगर पंजीकरण सं०-114823/14	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।

5	हरिचरण सिंह पिता-स्व. बनवारी सिंह ग्राम-पो0-कटौना थाना-खुसरूपुर जिला-पटना पंजीकरण सं0-107694 / 14	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत।
6	उषा देवी पति-बबन प्रसाद सिंह ग्राम-अनुआ पोस्ट-अमेहता थाना-अगियांव बाजार जिला-भोजपुर, आरा सी.आर नं0-33480 / 14	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000 / - (दस हजार) स्वीकृत।
7	राजीव कुमार सिंह पिता-स्व. रामानन्द सिंह ग्राम-असलानपुर छपरा पोस्ट-सकरी चौकी थाना+जिला-अरवल सी.आर नं0-11662 / 15	कैंसर रोग	₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत।
8	बहुरी देवी पति-स्व. नारायण चौधरी ग्राम-बाघा पोस्ट-सुहीर्द नगर थाना+जिला-बेगुसराय सी.आर नं0-74901 / 12	कैंसर रोग	₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत।
9	मो0 सईद पिता-मो0 मरहुम मजिद ग्राम-नया नगर टोला, पीपराकरौती, पो0-करौती बाजार, थाना-उदाकिशुनगंज जिला-मधेपुरा सी.आर नं0-7574 / 15	हृदय रोग	₹ 50,000 / - (पचास हजार) स्वीकृत।
10	मो0 निजाम पिता-मो0 उस्मान ग्राम-मजलीसपुर पोस्ट-मडवा वायसी थाना-वायसी जिला-पूर्णिया पंजीकरण सं0-106455 / 14	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत।
11	झालो देवी पति-बिन्देश्वरी पासवान ग्राम-आनन्दपुर पोस्ट-रजावर थाना-रजौन जिला-बांका पंजीकरण सं0-129850 / 14	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत।

12	प्रतीमा देवी पति-अनिल कुमार ग्राम-अम्बा सैख टोली पोस्ट-अम्बाकला थाना-पीपराही जिला-शिवहर पंजीकरण सं०-041081 / 14	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत।
13	अनिरुद्ध प्रसाद राय पिता-स्व. केवलधारी राय ग्राम-मनेर नेवाती पोस्ट+थाना-मनेर जिला-पटना सी.आर नं०-875 / 15	कैंसर रोग	₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत।
14	कविता देवी पति-अबेश चन्द्र सिन्हा ग्राम-जहाना पोस्ट-बडी भलवान थाना-बिन्द जिला-नालंदा सी.आर नं०-108428 / 14	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत।
15	तसवर बानो पति-अख्तर हुसैन मो०-काजी टोला पोस्ट+थाना+जिला-भोजपुर, आरा सी.आर नं०-126064 / 14	कैंसर रोग	₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत।
16	कलवतीया (कलुतीया) देवी पति-मुनेश्वर दास ग्राम-असुढा पो०-पीडरा थाना-आनन्दपुर जिला-बांका सी.आर नं०-56640 / 14	कैंसर रोग	₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत।
17	मीला देवी पति-योगेन्द्र प्रसाद यादव ग्राम-बखरी पोस्ट-धमसोना जिला-सहरसा पंजीकरण सं०-089528 / 14	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000 / -(दस हजार) स्वीकृत।
18	जहाँ आरा अंसारी पति-मो० नासीर अंसारी ग्राम-हुसैनाबाद नया टोला पोस्ट-मीरजानहॉट थाना-मोजाहीदपुर जिला-भागलपुर सी.आर नं०-10048 / 15	कैंसर रोग	₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत।

19	लक्ष्मण राय पिता-स्व. बैजनाथ राय ग्राम-मनपुरा पोस्ट-टरवां मंगरपाल थाना-दरियापुर जिला-सारण, छपरा सी०आर नं-6089 / 15	कैंसर रोग	₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत।
20	राजेन्द्र प्रसाद सिंह पिता-राम बीर सिंह ग्राम-सिरसा बेली टोले, खेमकरण, पो०-सराय बक्स थाना-भेल्दी जिला-सारण, छपरा सी.आर नं०-3615 / 15	हृदय रोग	₹ 85,000 / -(पचासी हजार) स्वीकृत।
21	मीना देवी पति-राम रेखा प्रसाद ग्राम-नई बाजार पोस्ट-जयपुर थाना-मेंहदीया जिला-अरवल सी.आर नं०-10379 / 15	हृदय रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
22	लखन साव पिता-भानु साह ग्राम-कमलावाड़ी पोस्ट-लोहट, थाना-पंडौल जिला-मधुबनी पं० नं०ओ०पी०डी० / 063300 / 14	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000 / -(दस हजार) स्वीकृत।
23	इन्दु देवी पति-श्री रामानन्द राय ग्राम-कथौलीया पोस्ट-चांदपुरा नन्हकार थाना-विदुपुर जिला-वैशाली पंजी सं० ओपी०डी० / 127470 / 14	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत।
24	राजेन्द्र गोप पिता-दशरथ गोप ग्राम-कुरथीया पोस्ट-रैसा, थाना-चंडी जिला-नालंदा सी.आर नं०-9085 / 15	कैंसर रोग	₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत।
25	सागर देवी पति-श्री रामचन्द्र शर्मा ग्राम-पवड़ा पोस्ट-सोनपुर दक्षिण थाना-रोसड़ा जिला-समस्तीपुर पं०सं०ओपी०डी० / 120773 / 14	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 5,85,000 /

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,85,000/- (पांच लाख पचासी हजार) मात्र का क्रास चेक सं०.....
.....849868.....मूल रूप में संलग्न है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि आपके संस्थान को अनुदान की स्वीकृत राशि एवं स्वीकृत्यादेश ससमय उपलब्ध हो जाती है। यह एक कल्याणकारी योजना है, परंतु आपके संस्थान से मरीजों द्वारा स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक है। यह चिन्ता का विषय है।

चूँकि मरीज आपके संस्थान में ही चिकित्सारत है, इसलिए रोगी का नाम पता एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। इसके लिए अनावश्यक विलंब का कोई औचित्य नहीं है। आपके यहां प्राप्त स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय, जिससे मरीजों को जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।


कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह०/-
(डा० राजधारी रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 242 (14)

पटना, दिनांक - 2-3-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/
आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
25-02-15

सं० सं० 14/एम 11-2/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक
महावीर कैंसर संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय:—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकत समिति की दिनांक 18.02.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित 82 मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रम अंक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अरविन्द प्रसाद पिता—स्व. किशन चौधरी ग्राम—दरधी पो०—हरनाथपुर थाना—सजौर जिला—भागलपुर एम.सी.एस—डी 64068	कैंसर रोग	₹ 20,000/—(बीस हजार) स्वीकृत।
2	जगरनाथ साह पिता—स्व. शिव साह ग्राम+पो०+थाना—घोड़ा सहन जिला—पूर्वी चम्पारण एम.सी.एस—डी 62776	कैंसर रोग	₹ 20,000/—(बीस हजार) स्वीकृत।
3	प्रभु नाथ यादव पिता—स्व. रामायण प्रसाद ग्राम+पो०—टडवा थाना+जिला—सीवान एम.सी.एस—डी 63102	कैंसर रोग	₹ 20,000/—(बीस हजार) स्वीकृत।
4	सीता राम प्रसाद पिता—स्व. मोहन जमादार ग्राम—चक पो०—सौठा थाना—जलालगढ़ जिला—पूर्णिया एम.सी.एस—डी 42763	कैंसर रोग	₹ 20,000/—(बीस हजार) स्वीकृत।

5	उर्मिला देवी पति-गौरी शंकर प्रसाद ग्राम-बुलाकी बीगहा पोस्ट+थाना-कलेर जिला-अरवल एम.सी.एस-डी 42732	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
6	जालो यादव पिता-स्व. मोगल मंडल ग्राम-श्रीरामपुर पोस्ट+थाना-अकबर नगर जिला-भागलपुर एम.सी.एस-डी 63007	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
7	मो० सहाबुद्दीन रफीक पिता-स्व. मो० रफीक ग्राम-इसपुर रहमतनगर पोस्ट+थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना एम.सी.एस-डी 62496	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
8	भारती कुमारी पिता-सुरेन्द्र सिंह ग्राम-खोक्सा कल्याण पोस्ट-खोक्सा बुजुर्ग थाना-देसरी, जिला-वैशाली एम.सी.एस-68488	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
9	बदमीयां देवी पति-स्व. सुरज केवट ग्राम-ग० बहोरवा पोस्ट-चेरा खेरा थाना-अलौल, जिला-खगड़िया एम.सी.एस-डी 62990	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
10	रामपरी देवी पति-रामचन्द्र प्रसाद साह ग्राम+पो०-रंजीतपुर थाना+जिला-सीतामढ़ी एम.सी.एस-डी 55192	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
11	राधा देवी पति-लाल बाबु साह ग्राम-पीदमरीया, पटना सिटी पोस्ट-माधो मिल्स थाना-मालसलामी, जिला-पटना एम.सी.एस-डी 48797	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000/- (दस हजार) स्वीकृत।
12	अख्तारी खातुन पति-स्व. मो० रफीक ग्राम-चकसादीक पोस्ट+थाना-इस्लामपुर जिला-नालंदा एम.सी.एस-डी 63627	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।

13	लक्ष्मी देवी पति-कुकु मांझी ग्राम-सीमरीडीह पोस्ट+थाना-वारसलीगंज जिला-नवादा एम.सी.एस-डी 63998	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
14	संजु देवी पति-मनोज कुमार ग्राम-भवानी बीगहा पोस्ट-नीरीया तुलसीपुर थाना-कराय परसुराय जिला-नालंदा एम.सी.एस-डी 61825	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
15	गीता देवी पति-शिवनन्दन यादव ग्राम-पो0-तारतड़ थाना-घोसवरी जिला-पटना एम.सी.एस-डी 63164	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
16	चमचम देवी पति-राम सतन यादव ग्राम-कोरगावा, मिश्रवलीया पो0-चयापाली थाना-भगवानपुर जिला-सीवान एम.सी.एस-डी 60999	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
17	किरण देवी पति-श्रवण चौधरी ग्राम-लौंगाय पोस्ट-मथुरापुर थाना-कहलगांव जिला-भागलपुर एम.सी.एस-डी 56087	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
18	जमीला खातुन पति-मो0 मुंसर साह ग्राम-मझौलीया पोस्ट-चंदनपट्टी थाना-सकरा जिला-मुजफ्फरपुर एम.सी.एस-डी 56880	कैंसर रोग	₹ 20,000/-- (बीस हजार) स्वीकृत।
19	कृष्णा देवी पति- राम निवास तिवारी ग्राम-परमानन्दपुर पो0-अमेहता थाना-दावत जिला-रोहतास एम0सी0एस-डी0 44555	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।

20	मो० अकबर अंसारी पिता-अब्दुल अंसारी ग्राम-पो०-बसहा थाना-बाजपट्टी जिला-सीतामढी एम०सी०एस-डी० 64370	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
21	दीपांशु कुमार पिता-निरोद यादव ग्राम+पो०-रानीपट्टी थाना-कुमारखंड जिला-मधेपुरा एम०सी०एस-डी० 54663	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
22	मुंसी यादव पिता-हरमोनी भोकता ग्राम-दोलमपुर पोस्ट-जयपुर थाना-कटोरिया जिला-बांका एम०सी०एस-डी० 60505	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
23	लोकेश कुमार पिता-कामता प्रसाद ग्राम-लाडु पोस्ट-डेमा थाना-मोहनपुर जिला-गया एम०सी०एस-डी० 61590	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
24	झरोखा देवी पति-नागेश्वर मांझी ग्राम-रौनीयाचक पोस्ट-बारा थाना-भगवानगंज जिला-पटना एम०सी०एस-डी० 63103	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
25	मनोज कुमार सिंह पिता-स्व. राम स्वरूप सिंह ग्राम+पो०-बहादुरपुर थाना-जीरो माईल जिला-भागलपुर एम०सी०एस-डी० 27915	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
26	रिंकु कुमारी पति-कन्हैया कुमार पासवान ग्राम-तीलकटोल पोस्ट-मोहन एघु थाना+जिला-बेगुसराय एम०सी०एस-डी० 57714	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।

27	मंजु देवी पति-राम उद्गार मेहता ग्राम-मसुरीया पोस्ट-रामनगर थाना-सरसी, जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-डी0 7948	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
28	मो0 शमीदुल हक पिता-मो0 अली जान ग्राम-पो0-नगरडीह थाना जाले जिला-दरभंगा एम0सी0एस-डी0 63615	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
29	समरुल निशा पति/पिता-अनीउल्लाह खान/अतहर खान ग्राम+पो0-सतजोरा थाना-पानापुर जिला-सारण, छपरा एम0सी0एस-डी0 41575	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
30	लाडली प्रवीण पति/पिता-मो0 कैंसर आलम तवारक हुसैन, ग्राम-गड़ेरीया खंड पोस्ट+थाना+जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-डी0 58848	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
31	मो0 जीसान पिता-मो0 सलाम ग्राम-चंपापुर पोस्ट-घोसवरी थाना-बख्तियारपुर जिला-पटना एम0सी0एस-डी0 63939	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
32	गिरजा देवी पति-अर्जुन प्रसाद शर्मा ग्राम-पो0+थाना-बिहारशरीफ जिला-नालंदा एम0सी0एस-डी0 37473	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
33	उदय नारायण प्रसाद पिता-स्व. लक्ष्मी नारायण प्रसाद ग्राम-मुसहरी, पोस्ट-रमना, थाना-मीठनपुरा जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-डी0 58001	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000/- (दस हजार) स्वीकृत।
34	अंजुम आरा पिता-मो0 मकबुल अहमद ग्राम-मीर टोला, वार्ड नं0-7 पोस्ट+थाना+जिला-सहरसा एम0सी0एस-डी0 62860	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।

35	नजमुन निशा पति-मो० अली ग्राम-काजीकैरी पोस्ट-कैरी थाना-बौसी जिला-बांका एम०सी०एस-डी० 60645	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
36	उमेश प्रसाद सिंह पिता-स्व. भुनेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम-तेघड़ा पोस्ट-लखनपुर थाना-तारापुर जिला-मुंगेर एम०सी०एस-डी० 62882	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
37	भुरन यादव पिता-मनभरन यादव ग्राम-गोवर्धनपुर पोस्ट-बरियारपुर थाना-बख्तियारपुर जिला-सहरसा एम०सी०एस-डी० 16846	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
38	सुशीला देवी पति-सतीश लाल दास ग्राम-बबुआन पोस्ट-घुरना बाजार थाना-घुरना, जिला-अररिया एम०सी०एस-डी० 49020	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
39	कृष्णा देवी पति-रामु राय ग्राम-अलीपुर मुकुन्द पोस्ट-हसनपुर भदवास थाना-महुआ जिला-वैशाली एम०सी०एस-डी० 32794	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000/- (दस हजार) स्वीकृत।
40	हुस्न आरा बेगम पति-जमालउद्दीन ग्राम-दुलाली पोस्ट-बंगामा थाना-बहादुरगंज जिला-किशनगंज एम०सी०एस-डी० 63992	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
41	सुलगना देवी पति-असराम चौधरी ग्राम-सीयारीगह पोस्ट-मटीहानी माधो थाना+जिला-सीवान एम०सी०एस-डी० 63285	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।

42	शकुन्तला देवी पति-शत्रुघ्न सिंह ग्राम+पो0-डेवा फतेहपुर थाना-खीजरसराय जिला-गया एम0सी0एस-डी0 61753	कैंसर रोग	₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत।
43	सोहीला देवी पति-भगवान सिंह ग्राम+पो0-बदलु टोला थाना+जिला-सारण, छपरा एम0सी0एस-डी0 63495	कैंसर रोग	₹ 40,000 / - (चालीस हजार) स्वीकृत।
44	सबीता कुमारी पति-प्रमोद शर्मा ग्राम-साया परसा पोस्ट-जय हिन्द तेंदुआ थाना-माली, जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-डी0 63418	कैंसर रोग	₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत।
45	संजय कुमार पिता-विष्णु बल्लभ दास ग्राम+पो0-बलौर थाना-मनीगाछी, जिला-दरभंगा एम0सी0एस-डी0 62766	कैंसर रोग	₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत।
46	चिन्ता देवी पति-सुरेन्द्र पंडित ग्राम-बलवापर पोस्ट-सामस, थाना-सारे जिला-नालंदा एम0सी0एस-डी0 63287	कैंसर रोग	₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत।
47	सीरो मंडल पिता-स्व. जगरूप मंडल ग्राम-गंगापुर (नोनीयाचक) पोस्ट-गंगापुर थाना-स्तवारा जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-डी0 62057	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000 / - (दस हजार) स्वीकृत।
48	फुलो देवी पति-हरि लाल मंडल ग्राम-चकदाद मधुरापुर पो0-तेघड़ा जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-डी0 58614	कैंसर रोग	₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत।
49	पन्नु लाल पिता-स्व. अमरीक यादव ग्राम-गंधारमठ पो0-बन्धुगंज, थाना-घोसी जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-डी0 6423	कैंसर रोग	₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत।

50	मो० सलाम पिता-मो० रियाजुद्दीन ग्राम-पकवाड़ा पोस्ट-खोखा थाना-के० नगर जिला-पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस-89157	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
51	उमेश प्रसाद पिता-देवेन्द्र प्रसाद ग्राम-औराई पोस्ट-पकड़ी थाना-बड़हरीया जिला-सीवान एम०सी०एस-डी० 53370	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
52	विनोद कुमार मंडल पिता-कालु मंडल ग्राम-रघुनाथपुर पोस्ट-बारसोई घाट थाना-बारसोई जिला-कटिहार एम०सी०एस-डी० 57409	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
53	गोरख महाराज पिता-रामसी महाराज ग्राम-फरदी पोस्ट-नुनपुर थाना-तेघड़ा जिला-बेगुसराय एम०सी०एस-डी० 50231	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000/- (दस हजार) स्वीकृत।
54	पुनीता देवी पति-पुरषोतम सिंह ग्राम-पो०-कनसी थाना-सीमरी जिला-दरभंगा एम०सी०एस-डी० 63831	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
55	अनिल सिंह पिता-स्व. गिरो सिंह ग्राम-रतनगंज पोस्ट सुकटीया बाजार थाना-गोपालपुर जिला-भागलपुर एम०सी०एस-डी० 24862	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000/- (दस हजार) स्वीकृत।
56	राम विलास पासवान पिता-रघुवीर पासवान ग्राम-सागी, पोस्ट-दौलतपुर थाना-खोदावन्दपुर जिला-बेगुसराय एम०सी०एस-डी० 61218	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।

57	रंजन कुमार पिता-रामकृत प्रसाद/यादव ग्राम+पो0+थाना-गुरारू जिला-गया एम0सी0एस-डी0 44493	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000/- (दस हजार) स्वीकृत।
58	सुधा देवी पति-संजय कुमार मिश्र ग्राम-रघुनाथपुर पोस्ट-मोतिहारी थाना-तुरकौलीया जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-डी0 46330	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
59	तेजस्वी कुमार पिता-मनोरंजन सिंह ग्राम-चातर पोस्ट मलवा थाना-खुदवा जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-डी0 57451	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
60	सहदेव चौपाल पिता-स्व. दीदल चौपाल ग्राम-कटही पोस्ट-महमदगंज थाना-छातापुर जिला-सुपौल एम0सी0एस-डी0 62960	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
61	पानपत्ती देवी पति-कमलेश सिंह ग्राम-बहेड़ी पो0-नौहट्टा थाना-करमचट जिला-भभुआ, कैमुर एम0सी0एस-डी0 42600	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
62	किशोरी देवी पति-खुशी चन्द्र यादव ग्राम-शुरबीर पोस्ट-पटेढ़ी थाना-महराजगंज जिला-सीवान एम0सी0एस-डी 64159	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
63	प्रमीला देवी पति-दुखन साह ग्राम+पो0+थाना-महनार जिला-वैशाली एम0सी0एस-डी 57896	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000/- (दस हजार) स्वीकृत।

64	तारा देवी पति-कामेश्वर दास ग्राम-सन्त टोला पोस्ट-थाना-हवेली खडगपुर जिला-मुंगेर एम0सी0एस-डी 59976	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
65	शंभु प्रसाद सुमन पिता-तेतर साह ग्राम-पचना रोड पोस्ट+थाना-लखीसराय जिला-लखीसराय एम0सी0एस-डी 43545	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000/- (दस हजार) स्वीकृत।
66	राजेन्द्र मंडल पिता-स्व0 अमासी मंडल ग्राम-दुधैला, पोस्ट-गंगापुर थाना-सुल्तानगंज जिला-भागलपुर एम0सी0एस-डी 61675	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
67	राजकली देवी पति-उपेन्द्र कुमार सिंह ग्राम-गाजीपुर पोस्ट-उफरौल थाना-देसरी जिला-वैशाली एम0सी0एस-डी 64551	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
68	राम प्रवेश पिता-स्व. जीराखन साह ग्राम-पो0-गरहनी थाना-चरपोखरी थाना-भोजपुर, आरा एम0सी0एस-डी 63610	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
69	कौशल्या देवी पति-भगीरथ विश्वकर्मा मोहल्ला-न्यू करबीगहिया प्रमोद पथ, पो0-जी0पी0ओ0 थाना-जक्कनपुर जिला-पटना एम0सी0एस-डी 62859	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
70	सीता राम सिंह पिता-स्व. भुनेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम-माछीडीह पोस्ट-अमेया, थाना-असरगंज जिला-मुंगेर एम0सी0एस-डी 62847	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।

71	ललीता देवी पति-धनंजय प्रसाद सिंह ग्राम-आदमपुर पोस्ट+थाना-नारदीगंज जिला-नवादा एम0सी0एस-डी 63792	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
72	मो0 दाउद पिता-स्व. मो0 सादीक ग्राम-बड़ही चातर पोस्ट-बड़ही थाना-जैयनगर जिला मधुबनी एम0सी0एस-डी 63582	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
73	संध्या देवी पति-स्व0 किशुन सिंह ग्राम-इन्द्रुख पोस्ट+थाना-जमालपुर जिला-मुंगेर एम0सी0एस-डी 61978	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
74	मो0 इन्जार अंसारी पिता-मो0 फज्जो अंसारी ग्राम-पो0-बसैटी थाना-बौसी बसैटी जिला-अररिया एम0सी0एस-डी 50125	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000/- (दस हजार) स्वीकृत।
75	गजेन्द्र यादव पिता-स्व0 पारो यादव ग्राम-गीदराही पोस्ट-कठबांसी थाना+जिला-सुपौल एम0सी0एस-डी 63321	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
76	लीला देवी पति-सुरेन्द्र ठाकुर ग्राम+पो0-गंगौर थाना-हरलाखी, जिला-मधुबनी एम0सी0एस-डी 58969	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
77	बेबी झा पति-गिरिश चन्द्र झा ग्राम-महथवार पोस्ट-पाली, थाना-घनश्यामपुर जिला-दरभंगा एम0सी0एस-डी 57510	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000/- (दस हजार) स्वीकृत।
78	मोहन दास पिता-विलास दास ग्राम-पटोरी, पोस्ट-इकमा थाना-औराई, जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-डी 59775	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।

79	मंजु देवी पति-श्री त्रीभुवन प्रसाद सिंह ग्राम-रोहुआ आपुध पोस्ट+थाना-मुशहरी जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-डी 53765	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000/- (दस हजार) स्वीकृत।
80	सिरजा देवी पति-राम करण सिंह ग्राम-भेटवलीया पोस्ट-सुतीहार थान-डेरनी, जिला-छपरा एम0सी0एस-डी 61536	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
81	उमरावती देवी पति-भुनेश्वर सिंह ग्राम-धामा पोस्ट-अमरदह थाना-ईसुआपुर जिला-सारण, छपरा एम0सी0एस-डी 36740	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000/- (दस हजार) स्वीकृत।
82	फुलपातो देवी पति-द्वारिका प्रसाद ग्राम+पो0+थाना-ब्रहमपुर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-डी 57033	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 17,50,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 17,50,000/- (सत्रह लाख पचास हजार) मात्र मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 ~~849862~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 CD-1271474882, खाता धारक का नाम- 'महावीर कैंसर इंस्टीच्यूट एंड रिसर्च सेन्टर, पटना' खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा का नाम- चितकोहरा, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~849862~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 236 (14)

पटना, दिनांक - 2-3-15

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
26-06-15